न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 26/2021

बउनवानः–

रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 05.02.2021

निर्णय दिनांक : 23.04.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 173 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 174 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.50 है0 कुल किता 3 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नवलपुरा तह0 मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में शामलाती रूप से दर्ज है। तथा उक्त वर्णित आराजियात में वादी का नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र केशरीलाल दर्ज हो रहा है। वादी के अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र केशरीलाल के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल दर्ज करवाना चाहता है। नाम गलत होने से वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 173 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 174 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.50 है0 कुल किता 3 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नवलपुरा तह0 मांगरोल में आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र केशरीलाल के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2021/90 दिनांक 22.02.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम नवलपुरा में खाता संख्या 13 में सह खातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र केशरीलाल जाति बैरवा हिस्सा 1/9 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मुताबिक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड और ग्राम पंचायत रायथल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र दर्ज है। अतः सही नाम रामचन्द्र बैरवा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 23.04.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में स्वयं व सहखातेदार रामकल्याण पुत्र केशरीलाल जाति बैरवा निवासी नवलपुरा तह0 मांगरोल के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 23.04.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 173 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 174 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.50 है0 कुल किता 3 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम नवलपुरा तह0 मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र केशरीलाल के स्थान पर चन्द्रप्रकाश उर्फ रामचन्द्र पुत्र केशरीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner